



प्रतिवादीगण सरख्या 1 व 3 में वाणिज्य  
 1/3 दिवस, प्रतिवादीगण सरख्या 2 व 3 में  
 वाणिज्य का 1/3 दिवस का खातेदार  
 घोषित करने का निवेदन किया गया,

20/11

छाने पत्राली का डिवलोजन व  
 शेषपत्र भिषा राफीनाम की इजाजत का  
 सुन व संग्रह कर सही होना हकीमत  
 भिषा गया। बाद फॉल राफीनाम वहीक  
 भिषा गया। आरपिक राफीनाम बाद  
 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है।  
 की उक्त आराजीपत्र में नारीगण सरख्या

नारीगण सरख्या 1 ता 5 का सुलोक का 1/3

दिवस व प्रतिवादीगण सरख्या 1 व 3 में  
 वाणिज्य का 1/3 दिवस खातेदार में दर्ज  
 करने का आदेश दिया जाता है इका  
 अनुसार डिमी जारी हो।

पत्राली फॉल सुन होकर दाखिल  
 दफ्तर है।

आदेश सुन पापलय में नया परिवर्त  
 वास्तवता में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)

अधिकारी लोक अदालत / कोर्ट कैम्प-2018  
 अधिकारी एवं फदेन सहायक कलेक्टर  
 बालोवरा कैम्प